न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामपुरा डाबडी, जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी : अशोक कुमार (आर.ए.एस.)
प्रार्थना पत्र संख्या :—94 / 2024 / पत्थरगढी

1. बद्रीनारायण पुत्र हनुमान
2. भोमराज पुत्र हनुमान
3. लालचन्द पुत्र हनुमान
   समस्त 1 ता 3 जाति अहीर निवासी ग्राम पुनान तहसील आमेर जिला जयपुर।
4. शंकर लाल पुत्र नन्दाराम यादव जाति अहीर निवासी ग्राम रायथल तहसील आमेर जिला जयपुर।

— — — **प्रार्थीगण**

बनाम

1. हनुमान सहाय पुत्र कानाराम
2. शंकर लाल पुत्र कानाराम
3. गिरधारी लाल पुत्र कानाराम
4. मन्नी देवी पत्नी जगदीश प्रसाद
   समस्त 1 ता 4 निवासी ग्राम रायथल तहसील आमेर जिला जयपुर।
5. ग्राम पंचायत जरिये सरपंच सचिव ग्राम रायथल तहसील आमेर जिला जयपुर।
6. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार तहसील आमेर जिला जयपुर।

— — — **अप्रार्थीगण**

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128
सपठित धारा 111 भू राजस्व अधिनियम
निर्णय दिनांक 28/1/2025

पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में निवेदन किया है कि वाके ग्राम रायथल, पटवार हल्का रायथल, भू—अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र जयसिंहपुरा तहसील आमेर, हाल तहसील जालसू जिला जयपुर में स्थित आराजी कृषि भूमि खसरा नम्बर 488 रकबा 0.3500 हैक्टे0, स्थित है।

दिनांक 31 / 05 / 2023 को श्रीमान् उप तहसीलदार महोदय जालसू आमेर के आदेश क्रमांक प्रशासन गांवो के संग अभियान / 2023 / 55 दिनांक 19 / 05 / 2023 की पालना में ग्राम रायथल के खसरा नम्बर 488 रकबा 0.3500 हैक्टेयर की सीमाज्ञान की गई और प्रार्थी की सीमाओं को जरिये मुस्तकिल चिन्ह गैर मु. चाह खसरा नम्बर 434 से बारी बारी जरीब चलाई जाकर सीमाकंन किया गया। लेकिन प्रार्थीगण की उक्त भूमि के पडौसी खातेदार काश्तकार द्वारा प्रार्थीगण की उक्त भूमि में जबरन मजाहमत करने के कारण तथा प्रार्थी की अपनी सीमाओं को महदूद करने की गुरेज से पत्थरगढी करवाना अत्यन्त आवश्यक हो गया है। इसलिए प्रार्थीगण की उक्त कृषि भूमि की नियमानुसार पत्थरगढी किया जाना नितान्त आवश्यक हैं ।

अप्रार्थीगण सं. 1 ता 4 उक्त भूमि के पूर्वी दिशा में स्थित खसरा नं. 486 के खातेदार है तथा चारो सीमाओ मे स्थित खसरा नं. 1663 / 490, 1593 / 490, 487, 1587 / 490 के राजस्व रिकॉर्ड मे अप्रार्थी सं. 5 का नाम दर्ज इन्द्राज है। प्रार्थीगण अपनी उक्त भूमि की सुरक्षा वास्ते, एंव पडोसी,

उपखण्ड अधिकारी

खातेदारो से लडाई झगडो से निजात पाने के लिये उक्त भूमि की पत्थरगढी करवाना चाहते है, इसलिये प्रार्थीगण की उक्त भूमि आराजी खसरा नम्बर 488 की पत्थरगढी किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अप्रार्थीगण संख्या बल में ज्यादा है ओर मौके पर पत्थरगढी नहीं होने देने की सम्भावना व मौके पर शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिये पत्थरगढी की कार्यवाही जरिये पुलिस ईमदाद करवाया जाना आवश्यक है।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि ख0नं0 488 रकबा 0.3500 हैक्टे0 वाके ग्राम रायथल, पटवार हल्का रायथल, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र जयसिंहपुरा तहसील आमेर, हाल तहसील जालसू जिला जयपुर की पत्थरगढी जरिये पुलिस इमदाद से करवाये जाने के आदेश पारित फरमावें।

उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जरिये रजिस्टर्ड नोटिस की गई। मुताबिक ट्रेक रिपोर्ट तामिल पूर्ण। अप्रार्थीगण अनुपस्थित एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। एक पक्षीय बहस सुनी गयी। पत्रावली व संलग्न दस्तावेजात् का अवलोकन व मनन किया, अप्रार्थीगण की ओर से कोई जवाब प्रार्थना पत्र या आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई। तहसीलदार रिपोर्ट के मुताबिक पत्थरगढी करवाया जाना उचित है। प्रार्थीगण उक्त आराजी के खातेदार है, जिन्होंने दिनांक 31.05.2023 को सीमाज्ञान करवा लिया है। जिसकी पालना में पत्थरगढी करवाने के अधिकारी है। जिससे प्रार्थना पत्र बाबत् पत्थरगढी स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र बाबत् पत्थरगढी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार जालसू को आदेश दिये जाते है कि खसरा नम्बर 488 रकबा 0. 3500 हैक्टे0 वाके ग्राम रायथल, पटवार हल्का रायथल, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र जयसिंहपुरा तहसील आमेर, हाल तहसील जालसू जिला जयपुर में स्थित की फीस पत्थरगढी प्रार्थीगण से प्राप्त कर राजकोष में जमा करवाये तथा पत्थरगढी की कार्यवाही से पूर्व हितबद्व एवं पडोसी खातेदारान को विधिवत सूचित किया जाकर उभयपक्षकारान की उपस्थिति में विधिक प्रक्रिया अपनाते हुये पत्थरगढी की कार्यवाही सम्पादित करें। पत्थरगढी की आड में बेदखली की कार्यवाही नही की जावें।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया। तहसीलदार जालसू को पालनार्थ तहरीर जारी हो।

(हस्ताक्षर)
अशोक कुमार (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी रामपुरा डाबडी,
जिला जयपुर

उपखण्ड अधिकारी
रामपुराडाबडी (जयपुर ग्रामीण)